# The Gazette of India

असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

н. 778] No. 778] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2012/वैशाख 7, 1934 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 2012/VAISAKHA 7, 1934

### वस्त्र मंत्रालय

#### आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2012

का.आ. 933(अ).— यद्यपि केन्द्र सरकार पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग मदों में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम 1987 (जिसे इसके बाद जेपीएम अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन जारी दिनांक 17 जनवरी, 1912 (जिसे इसके पश्चात् प्रधान आदेश कहा जाएगा) के आदेश सं.सा.आ.88(ई) पटसन वर्ष 2011-12 के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में 100 प्रतिशत के लिए खाद्यान्न और चीनी के लिए आरक्षित है।

तथा, यद्यपि जेपीएम अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के अधीन केन्द्र सरकार, यदि यह राय रखती हो कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में अनिवार्य अथवा लाभप्रद हो, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तित्यों के वर्ग को किन्हीं मदों अथवा मदों की श्रेणी के लिए आपूर्ति करने अथवा वितरण करने से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन निर्मित आदेश के प्रचालन से छूट दे सकती है।

यद्यपि उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य तथा सार्वजिनक वितरण विभाग ने सूचित किया है कि मध्यप्रदेश में गेंहूं की खरीद 65 लाख टन के प्रारंभिक पूर्वानुमान के बजाय 80 लाख टन तक पहुंच सकती है तथा सिफारिश की है कि आरएमएस 2012-13 के दौरान मध्यप्रदेश में गेंहूं की खरीद के लिए एचडीपीई/पीपी बोरों की 40000 गांठों के उपयोग के लिए लिए तत्काल छूट दी जाए।

तथा, यद्यपि केन्द्र सरकार ने पटसन आयुक्त, कोलकाता के परामर्श से रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2012-13 के लिए खाद्यान्न की पैकिंग के लिए बी.ट्विल पटसन बोरों की मांग तथा तदनुरूपी आपूर्ति क्षमता और सरकारी खरीद एजेन्सियों को आपूर्ति के संबंध में पटसन उद्योग के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है।

तथा, यद्यपि भारत सरकार ने विचार किया है कि अतिरिक्त मांग के कारण आरएमएस 2012-13 के लिए खरीद एजेन्सियों द्वारा पैकिंग सामग्रियों की अनुमानित आवश्यकता में 1.44 लाख गांठ के प्रारम्भिक अनुमान की तुलना में 3.20 लाख गांठ तक वृद्धि हुई है।

तथा, यद्यपि फसल का मौसम पूर्व सही अनुमान न लगाए जाने, इंडेंट देरी से किए जाने और राज्य के भीतर बोरों के संवितरण में पश्चातवर्ती समस्याओं के कारण मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सामना की गई-समस्याओं के कारणवश मध्यप्रदेश में नियमित आपूर्ति बाधित हो गई।

अब इसलिए, केन्द्र सरकार का मत है कि अर जनहित में, और जेपीएम अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधान के तहत शिंतयों का प्रयोग करते हुए ऐसा करना आवश्यक अथवा लाभकारी है कि एतददद्वारा मध्यप्रदेश राज्य एजेंसी को मुख्य आदेश (और इस प्रकार पटसन के अलावा अन्य सामग्री में खाद्यानों की पैकेजिंग के लिए अनुमित देते हुए) के प्रचालन से, उबी विपणन मौसम 2012-13 के लिए 40,000 गांठ की कुल मात्रा तक छूट दी जाए । प्रस्तावित छूट चालू पटसन वर्ष के लिए ऐसी ऐजेंसी द्वारा की गई खाद्यानों की कुल खरीद के 20 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत होगी । यह इस शर्त के अध्यधीन है कि एचडीपीई/पीपी बोरों का उपयोग केवल अत्यावश्यकता की स्थिति में तथा चालू आरएमएस के अंत में किया जाएगा, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एचडीपीई और पटसन बोरों के अंतः शेष का ब्यौरा केन्द्र सरकार को दिया जाना होगा।

यह छूट 31 मई, 2012 तक खरीदे गए खाद्यानों की पैकिंग के लिए वैध होगा।

[फा. सं. 9/8/2012-पटसन] सुजीत गुलाटी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES ORDER

New Delhi, the 27th April, 2012

S.O. 933(E).— Whereas the Central Government vide Order No. S.O.88(E) dated 17<sup>th</sup> January, 2012 (hereinafter referred to as the Principal Order) issued under the provision of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (hereinafter referred to as the JPM Act) reserved foodgrain and sugar for 100 percent packaging in jute packaging material for the jute year 2011-12.

And, whereas, under the provisions of Section 16(1) of the JPM Act, the Central Government, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, may exempt any person or class of persons, supplying or distributing any commodity or class of commodities, from the operation of an order made under Section 3 of the Act.

Whereas Ministry of Consumer Affairs, Department of Food & Public Distribution has intimated that Govt. of Madhya Pradesh has informed that wheat procurement in Madhya Pradesh may reach 80 lakh tonnes instead of the initial projection of 65 lakh tonnes and have recommended that immediate relaxation for use of 40000 bales of HDPE/PP Bags for the wheat procurement in Madhya Pradesh during RMS 2012-13 may be granted.

And, whereas, the Central Government has reviewed the demand of B.Twill jute bags for packing foodgrains for Rabi Marketing Season (RMS) 2012-13 and the corresponding supply capacity and performance of jute industry in respect of supply to the Government procuremement agencies with the consultation of Jute Commissioner, Kolkata.

And, whereas, the Government of India has considered that due to additional demand, the estimated requirement of the packing materials by the procurement agencies for the RMS 2012-13 has increased from the initial projection of 1.44 lakh bales to 3.20 lakh bales.

And, whereas, in view of the problems faced by the Govt. of Madhya Pradesh due to lack of correct pre-season estimation of crop, late placement of indent and the subsequent problems in distribution of bags within the State, resulting in disruption of orderly supply within the state of Madhya Pradesh.

Now, therefore, the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, and in exercise of the powers under the provision of Section 16(1) of the JPM Act, hereby exempt the Madhya Pradesh State Agency from the operation of the Principal Order (and thus allowing for packaging foodgrains in material other than jute) upto the extent of a total quantity of 40,000 bales for the Rabi Marketing Season 2012-13. The proposed relaxation would be within the limit of 20% of the total procurements of foodgrain made by such agency for the current jute year. It is subject to the condition that the use of HDPE/PP Bags would be used only incase of emergency and at the end of the current RMS, the closing balance of HDPE and Jute Bags would need to be furnished by the Govt. of Madhya Pradesh to the Central Government.

The exemption would be valid for procurement and packing of foodgrain made upto 31st May, 2012.

[F. No. 9/8/2012-Jute] SUJIT GULATI, Jt. Secy.